<u>समाचार</u>

गेरवाघाट पुल के पास नदी पर अतिक्रमण कर बना लिए थे घर

(जान माल की सुरक्षा को हो सकता है खतरा, निगम ने हटाया अतिक्रमण)

(दी लोगों को समझाईश, न करें जान माल के साथ खिलवाड़)

कोरबा 16 जून 2019–गेरवाघाट पुल के पास नदी के किनारे अनेक लोगों द्वारा अतिक्रमण कर घर बना लिए गए हैं, नदी के किनारे बने इन घरों में रहने वाले लोगों के जान माल का खतरा हो सकता है, निगम ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन अतिक्रमणों को हटा दिया। आयुक्त श्री एस.के. दुबे ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे अतिक्रमण न करें, उन्होने निगम के अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि अतिक्रमण पर नजर रखें, अन्यथा अतिक्रमण होने पर जिम्मेदारी अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाएगी।

गेरवाघाट पुल के समीप हसदेव नदी के किनारे अनेक लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कच्चे–पक्के मकान बना लिए गए हैं। एक तरफ नदी है, तो दूसरी ओर नहर, दोनों के बीच घरों का अवैध निर्माण कुछ लोगों द्वारा कर लिया गया था, वर्षा के दौरान नदी में जल स्तर बढ़ने से अतिक्रमण कर घर बनाने वाले इन लोगों को जान माल का खतरा संभावित था, निगम ने इसे पूरी गंभीरता से लेते हुए उक्त अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की है, शनिवार को निगम के अतिक्रमण दस्ते ने उक्त स्थल पर पहुंचकर किए गए अतिक्रमणों को हटा दिया है तथा निगम की यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

<u>जान माल को खतरे में न डालें</u>– आयुक्त श्री एस.के. दुबे ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि नदी, नालों के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण कर घर बना लेने से सदैव जान माल का खतरा बना रहता है, प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, अतः अवैध निर्माण कर घर न बनाए। उन्होने अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए है कि वे अवैध

निर्माण व अतिक्रमण पर निरंतर नजर रखें, विशेषकर संवेदनशील स्थानों पर सतत निरीक्षण करें तथा यह देखें कि लोग अतिक्रमण कर घर न बनाएं, उन्होने अधिकारियों से कहा है कि भविष्य में अतिक्रमण होने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।